भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोकसभा
तारांकित प्रश्न सं. ***216**
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण 1947 (शक) को दिया जाना है

"माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने से राज्यों को राजस्व का नुकसान"

*216. श्री वी. के. श्रीकंदन**:**
श्री एस. वेंकटेशन**:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के अंतर्गत दरों को युक्तिसंगत बनाने के कारण राज्यों को होने वाली आरम्भिक राजस्व हानि के मुद्दों का समाधान करने के लिए माल एवं सेवा कर परिषद द्वारा मंत्रियों के एक नए समूह का गठन किए जाने की संभावना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केरल राज्य ने सितंबर, 2025 में लागू किए गए दर-युक्तिकरण के कारण राजस्व में भारी हानि के बारे में चिंता व्यक्त की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के कारण केरल को 8,000–10,000 करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है;
(घ) क्या सरकार के अनुमान के अनुसार सकल राजस्व हानि 93,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जिसकी कतिपय वस्तुओं के 28 प्रतिशत स्लैब से 40 प्रतिशत स्लैब में लाये जाने के कारण 45,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व से आंशिक रूप से भरपाई होने ही सम्भावना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

श्री वी. के. श्रीकंदन एवं श्री एस. वेंकटेशन द्वारा 15 दिसंबर, 2025 को उठाए गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 216 — "जीएसटी रैशनलाइज़ेशन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान" पर जवाब में दिया जाने वाला बयान -

(क): वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) एवं (ग): जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के दौरान, केरल की माननीय वित्त मंत्री ने यह उल्लेख किया कि केरल में उपभोग का पैटर्न ऐसा है कि उपभोग की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं पर उच्च कर दर लागू होती है। अतः दर रैशनलाइज़ेशन के परिणामस्वरूप राज्य को होने वाला राजस्व नुकसान तुलनात्मक रूप से अधिक होने की संभावना है।

यह भी कहा गया कि केरल राज्य ने जीएसटी दर रैशनलाइज़ेशन से संभावित राजस्व हानि का स्वयं आकलन किया है, जिसमें चार क्षेत्रों — ऑटोमोबाइल, बीमा, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स — पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनके अनुमान के अनुसार, इन क्षेत्रों से राज्य को लगभग 2,500 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होने की संभावना है, और केरल के लिए कुल वार्षिक राजस्व हानि 8,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

(घ) एवं (ङ): उपभोग पैटर्न और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर, 28% कर वर्ग से 40% कर वर्ग में स्थानांतरित की गई वस्तुओं से लगभग 45,570 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। व्यापक दर रैशनलाइज़ेशन पहल से लगभग 93,300 करोड़ रुपये के शुद्ध नकारात्मक राजस्व प्रभाव की संभावना है।

दोनों को मिलाकर कुल लगभग 47,700 करोड़ रुपये के शुद्ध नकारात्मक प्रभाव की संभावना है। हालांकि, इन आंकड़ों को अंतिम रूप से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि कर संग्रह स्थिर नहीं रहता और उसमें उछाल आता है। इसके अतिरिक्त, कम कर दरों से अनुपालन में सुधार और विवादों में कमी आने की संभावना है।

*****